

// श्री //

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

अपील-0060/2019 रतलाम/अन्य

म.प्र.शासन द्वारा जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम - अपीलांट

विरुद्ध

प्रमोद कुमार गुगलिया पिता हिम्मतसिंहजी गुगलिया
निवासी महु रोड रतलाम जिला रतलाम म0प्र0 - रेस्पोंडेंट

यह अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय
संभाग उज्जैन द्वारा अपील क्रमांक 1037/2016-17 में
पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 से असंतुष्ट होकर
शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

मान्यवर महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्न वजुहातो पर अपील
प्रस्तुत है-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि- जिला
दण्डाधिकारी (कलेक्टर) जिला रतलाम के समक्ष प्रार्थी प्रमोद कुमार
गुगलिया द्वारा आत्मरक्षा हेतु 12 बोर के लायसेंस नवीनीकरण का
आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से पुलिस अधिक्षक से रिपोर्ट तलब
करते हुए सत्यापन चाहा गया एवं पुलिस अधिक्षक की ओर से
आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत होने पर जिला दण्डाधिकारी
(कलेक्टर) जिला रतलाम द्वारा प्र.क. 165/न.क./शस्त्र लायसेंस/
2017 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 से प्रार्थी का 12 बोर का
शस्त्र लायसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया जिससे असंतुष्ट

3

प.अ. रतलाम
6-12-18

आ.क.
3325
14/12/18

जा.क. 3/18
12/12/18

6

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ



राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:अपील-0060/2019/रतलाम/अन्य....

तहसील:

जिला:रतलाम....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का

प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:1037/2016-17/अपील,

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण

क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :

वाद का विषय:अपील....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत

प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :अन्य.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....रतलाम.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...28/12/2017... के विरुद्ध ...मध्यप्रदेश शासन...।...प्रमोद कुमार..।..... के अभिभाषक द्वारा अपील - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांकहै। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p>	
05/08/19	<p>प्र. प्रस्तुत वार्षिक संचालन के दिनांक प्र. 01 पेश। अवलोकन किया गया। प्र. 01 प्र. 01 अप. (आयुक्त, उ.प्र.) के आदेश 28.12.17 के निरुद्ध श.प्र.म.मि.मि.म. के अंतर्गत</p>	

प्रस्तुतकार

→ 3
अनु/मं 0060/19/ (मं/मं)

आनेदन पेडा विमा ह
आनेदन सिस के गालम ह
गालम दुमा ह शी. अति.
अपिधत ह आनेदन
शिकन म विमाम के काम
यममन शीम न हिन
अपिधत विमा गालम ह
विमा न हिन <10 20 हिन

श्री

—

AK 211
AK
AK
AK
AK